

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- रात्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 120 / 2026

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी

वनाम्

1. निकूराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. लिछमनराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
4. कमलादेवी पत्नी जगदीश
5. पूनम पुत्री दयाराम
6. ममता पुत्री दयाराम
7. विक्रम पुत्र जगदीश
8. सन्दीप पुत्र जगदीश
9. सुमित पुत्र दयाराम
10. सावित्री पत्नी दयाराम
11. गुरमेलसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
12. सरजीत सिंह पुत्र चानणसिंह जाति सैनी सिख निवासी 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
13. हरविन्द्र सिंह पुत्र चानणसिंह जाति सैनी सिख निवासी 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

जाति जाट निवासीयान टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

उपस्थिति:- श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी

श्री करनैलसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक. 21/4/26.....



प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चकनं0 7 जीजीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 50/51 में कुल 2.6250 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण सं0 1 के नाम से चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 77/77 में कु1. 708 है0 तथा खाता सं0 30/32 के 3.5420 है0 आराजी तथा अप्रार्थी सं0 2 लिछमन राम के नाम से चक नं0 7 जीजीआर के खाता सं0 75 / 50 में कुल 2.6260 है0 आराजी नहरी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयाँ संलग्न प्रार्थना पत्र है। चकनं0 5 जीजीआर व चक 7 जीजीआर आपस में चिपते हुए है। प्रार्थी की कृषि भूमि चक 7 जीजीआर में स्थित है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी चक नं0 7 जीजीआर की पत्थर लाईन 296 पर स्वीकृत रास्ता से होकर अप्रार्थीगण की भूमि प0न0 204 / 295 मु0 22 किलानं0 20,21 मे से होकर अपनी भूमि किलानं0 11 में प्रवेश करता है उक्त

21/4/26

6/.253, 15 /.253 प्रत्येक में से 1/2 - 1/2 विश्वा पूर्वी दिशा में व किलानं0 16 में .001 है० उतरी-पूर्वी कॉर्नर की आराजी

ख. अप्रार्थी सं0 2. लिछमणराम को प्राप्त आराजी:- चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 77/77 मे प0न0 206/294 मु0 6 किलानं0 20 में एक विश्वा चौड़ा पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण की ओर (पश्चिम-उतरी कॉर्नर छोड़कर 15 फुट ), किला नं0 21 में एक विश्वा चौड़ा पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत किया जाकर गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाकर चकनं0 7 जीजीआर के खाता सं0 5/4 में अप्रार्थी सं0 2 लिछमणराम का हिस्सा कम तथा चक नं0 5 जीजीआर के खाता सं0 77/77 में से अप्रार्थी सं० 1 निकूराम का हिस्सा कम किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी सं0 1 को कोई उज्र व एतराज नहीं है । प्रार्थना पत्र की दफा 4 में लाइल्मी दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 कानूनी है लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक जबाब प्रार्थना पत्र के रास्ता स्वीकृत किया जाकर गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी सं० 1 को कोई उज्र व एतराज नहीं है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र मुताबिक सहमति का जवाबदावा स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष ने सहमति से मुताबिक जवाब प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 आरटीए के प्रावधानो के सुसंगत होने के कारण मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 चक नं0 7 जीजीआर प0न0 204/295 मु0 22 किलानं0 20,21 में प्रत्येक किला में .025 है० चौड़ा रास्ता पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण व किलानं0 11 में .002 है० पूर्वी - दक्षिणी कॉर्नर व अप्रार्थीगण सं0 2 व 4 ता 10 के नाम से दर्ज चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 158/80 में आराजी मे से प0न0 204/296 मु0 14 किलानं0 14 /.253, 15/1/.215 है० प्रत्येक में 2 विश्वा चौड़ा रास्ता दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत किये गये रास्ते के बदले में अप्रार्थी सं0 1 निकूराम को प्राप्त आराजी:- चकनं0 7 जीजीआर के खाता सं0 5/4 में से अप्रार्थी सं0 2 लिछमण राम के हिस्सा में से प0न0 205/294 मु0 14 किलानं0 5/1/.228, 6/.253, 15 /.253 प्रत्येक में से 1/2 - 1/2 विश्वा पूर्वी दिशा में व किलानं0 16 में .001 है० उतरी-पूर्वी कॉर्नर की आराजी अप्रार्थी सं0 2. लिछमणराम को प्राप्त आराजी:- चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 77/77 मे प0न0 206/294 मु0 6 किलानं0 20 में एक विश्वा चौड़ा पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण की ओर (पश्चिम-उतरी कॉर्नर 15 फुट छोड़कर ), किला नं0 21 में एक विश्वा चौड़ा पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण आराजी प्राप्त होगी इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर चकनं0 7 जीजीआर के खाता सं0 5/4 में अप्रार्थी सं0 2 लिछमणराम का हिस्सा कम तथा चक नं0 5 जीजीआर के खाता सं0 77/77 में से अप्रार्थी सं० 1 निकूराम का हिस्सा कम किया जावे तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक...2/4/26.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी  
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।

आराजी के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त रास्ता मौका पर चालू है तथा प्रार्थी उक्त चालू रास्ता चक नं० 7 जीजीआर प०न० 204 / 295 मु० 22 किलानं० 20,21 में प्रत्येक किला में .025 है० चौड़ा रास्ता पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण व किलानं० 11 में .002 है० पूर्वी - दक्षिणी कॉर्नर स्वीकृत करवाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाना चाहता है। उपरोक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आवागमन करने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी डी. एल. सी. रेट की दोगुणा राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई दफा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवा देवे तो अप्रार्थीगण आज से दो रोज पूर्व ग्राम साबुआना में कतई इन्कार हो गये । बस ही प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी रास्ता स्वीकृति का है, जो पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर व गबिल समाआत अदालत हाजा के है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर०टी०ए० अस्तुत कर निवेदन है कि चक नं० 7 जीजीआर प०न० 204 / 295 मु० 22 किलानं० 20, 21 में प्रत्येक किला में .025 है० चौड़ा रास्ता पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण व किलानं० 11 में .002 है० पूर्वी - दक्षिणी कॉर्नर स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र सहमति का पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पक्षकारान के पते से सम्बन्धित है जो स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी के नाम से चकनं० 7 जीजीआर के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 50/51 कुल 2.6250 है० आराजी व अप्रार्थीगण सं० 1 के नाम से चकन० 5 जीजीआर के खाता सं० 77/77 में कु०1.708 है० तथा खाता सं० 30/32 के 3.5420 है० आराजी तथा अप्रार्थी सं० लिछमन राम के नाम से चक नं० 7 जीजीआर के खाता सं० 75/50 में कुल 2.6260 है० आराजी नहरी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य स्वीकार है । चकनं० 5 जीजीआर व चक 7 जीजीआर आपस में चिपतें हुए है। प्रार्थी की कृषि भूमि चक 7 जीजीआर में स्थित है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी चक नं० 5 जीजीआर की पत्थर लाईन 296 पर स्वीकृत रास्ता से होकर अप्रार्थीगण की भूमि प०न० 204/295 मु० 22 किलानं० 20, 21 में से होकर अपनी भूमि किलानं० 11 में प्रवेश करता है उक्त आराजी के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपनी अपनी आराजी में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए हम अप्रार्थीगण को उक्त भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण निम्न प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है-

1. प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 चक नं० 7 जीजीआर प०न० 204/295 मु० 22 किलानं० 20,21 में प्रत्येक किला में .025 है० चौड़ा रास्ता पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण व किलानं० 11 में .002 है० पूर्वी - दक्षिणी कॉर्नर स्वीकृत किया जावे ।

2. अप्रार्थीगण सं० 2 व 4 ता 10 के नाम से दर्ज चकनं० 5 जीजीआर के खाता सं० 58/80 में आराजी में से प०न० 204/296 मु० 14 किलानं० 14 / .253, 15/1/.215 है० प्रत्येक में 2 बिश्वा चौड़ा रास्ता दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम किया जावे ।

3. रास्ता की भूमि के बदले में प्राप्त आराजी:-

1. अप्रार्थी सं० 1 निकूराम को प्राप्त आराजी:- चकनं० 7 जीजीआर के खाता सं० 5/4 में से प्रार्थी सं० 2 लिछमण राम के हिस्सा में से प०न० 205/294 मु० 14 किलानं० 5/1/.228,